संचरण/पारेषण हेतु दिशा-निर्देश

भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत संचरण/पारेषण (Transmission) परियोजना के संचरण/पारेषण लाइन के विज्ञापन/अधिसूचना के विवरण की पूर्वानुमोदन के पश्चात भारत के राजपत्र भाग-IV साप्ताहिक में विज्ञापनों के प्रकाशन से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताएं का अनुपालन करना अनिवार्य है।

1) भारत के राजपत्र, भाग-IV में संचरण/पारेषण लाइन के मुद्रण सामग्री/मामले के विज्ञापन को प्रकाशन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित शीर्ष-पत्र (मूल रूप में, स्कैन प्रति नहीं) एक अनुरोध पत्र के साथ प्रकाशन नियंत्रक को अग्रेषित किया जाना चाहिए।
2) संबन्धित क्षेत्र के दो राष्ट्रिय दैनिक समाचार पत्र, एक अंग्रेजी (मूल समाचार पत्र अनिवार्य) और एक हिंदी (मूल समाचार पत्र अनिवार्य), जबकि संचरण/पारेषण लाइन भारत के किसी भी क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम) से होकर गुजरा हो।
3) मुद्रण सामग्री को ए4 आकार के सादे कागज पर हिंदी के (कृति देव के फॉन्ट साइज़ 12 या मंगल के फॉन्ट साइज़ 10 में टंकण/टाइप) दो मूल सेट तथा अंग्रेजी के (न्यू टाइम्स रोमन के फॉन्ट साइज़ 10 में टंकण/टाइप) दो मूल सेट एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी पृष्ट रबर स्टाम्प्ड तथा पेन से सत्यापित होना अनिवार्य है। मुद्रण सामग्री का अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों प्रति पृष्ठों को गिनती के साथ अलग-अलग होना चाहिए । कृपया अधिसूचना के प्रकाशन मामले/सामग्री के हिंदी तथा अंग्रेजी के पहले पन्नों पर अधिसूचना संख्या और तारीख (अंग्रेजी और हिंदी में) का उल्लेख होना चाहिए ।

   (नोट:- हिंदी तथा अंग्रेजी के मामले को ए4 शीट पर अलग-अलग टंकण/टाइप होना चाहिए। किसी भी फोटोकॉपी या स्कैन की गई प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा । पृष्ट का आकार ए4 जिसकी चौड़ाई 21 सें. मी.x 29.7 सें. मी.लंबाई एवं मामले/सामग्री का आकार 17 सें. मी.x24 सें. मी. तथा उपर एवं नीचे का हाशिया/मार्जिन 3 सें. मी. तथा दाएँ एवं बाएँ का हाशिया/मार्जिन 2 सें. मी. होना चाहिए)।
4) भारत के राजपत्र खण्ड- IV में मुद्रण मामले को प्रकाशित करने से पहले अग्रिम राशि भुगतान करना अनिवार्य है। मुख्य लेखा कार्यालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 01/10/2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या G-20018/Pr.Ao/UD/A/Cs/NTRP/2018-19/1489-1504 के अनुसरण से विभाग द्वारा जारी दिनांक 04/10/2018 के आदेश संख्या Cash/NTRP/2018-19 के अनुसार यह राशि केवल एनटीआरपी के माध्यम से (यानी गैर रसीद पोर्टल www.bharatkosh.gov.in) पर जमा करना होगा। डाक/हाथ से भेजे जाने पर भुगतान की रसीद प्रति अधिसूचना के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

   (नोट:- संबन्धित पार्टी के भुगतान का पता लगाने के लिए संगठन के नाम का उल्लेख अवश्य करें) (नमूना प्रति नीचे बिन्दु संख्या 15 पर संलग्न है)।
5) खंड-IV का अग्रिम भुगतान/अग्रिम बिल पार्टी द्वारा प्राप्त हार्ड कॉपी के आधार पर किया जाता है, न कि ई-गजट वेबसाइट पर प्रकाशित मामले के अनुसार क्योंकि यह मामला प्रेस के विचाराधीन है कि वे मामले को कैसे व्यवस्थित करता है और फिर इसे आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे अपलोड करता है)।
6) **सॉफ्ट कॉपी:-** कृपया मुद्रण मामले की एक सॉफ्ट कॉपी केवल एम.एस वर्ड फॉर्मेट विंडो 7 में सीडी या पेनड्राइव में मुद्रण हेतु उपलब्ध कराएं (सॉफ्ट कॉपी में कोई पीडीएफ, जेपीईजी, जेपीजी स्वीकार्य नहीं हैं)

   पार्टी मुद्रण मामले की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल से gip-mr@nic.in तथा इसकी कॉपी acop-dep@nic.in पर भी भेज सकते हैं। कृपया मामले की सॉफ्ट कॉपी हमारे विभाग को ईमेल भेजते समय ई-मेल की तिथि का उल्लेख अवश्य करें।

....2/-

7) **सी. डी. प्रमाण-पत्र :-** - कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित और मुद्रांकित (मोहर युक्त) शीर्ष पत्र के साथ एक पत्र भेजें, जिसमें कहा गया हो कि सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी की विषय सूची समरूप/समान है।

8) निदेशक मण्डल द्वारा अधिकृत परियोजना पावर हैड को संकल्पित मूल प्रति (प्रमाणित मूल फोटोप्रति स्कैन प्रति नहीं)

9) सचिव, विद्युत मंत्रालय (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के 68 के तहत भारत सरकार से पूर्व अनुमोदित (प्रमाणित मूल फोटोप्रति स्कैन कॉपी नहीं) पत्र।

10) आशय/प्रयोजन/अधिनिर्णय/पुरस्कार पत्र (मूल छाया प्रति)।

11) संगठन/संस्था की ई-मेल एवं संपर्क नंबर/सूत्र अनिवार्य है।

12) विभाग में जमा किए दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में न तो मूल और न ही इसकी फोटो प्रति वापस किए जाएंगे ।

13) हमारे विभाग के कार्यालय मैनुअल निर्देश के अनुसार राजपत्र अधिसूचना खण्ड-IV से संबंधित दस्तावेज़/कागजात के संरक्षण की अधिकतम अवधि दो वर्ष के लिए है, उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आगे के आदेश के बिना ही दस्तावेज़/कागजात स्वतः रूप से नष्ट हो जाते हैं।ताकि नये रेकॉर्ड को स्टोर किया जा सके।

14) भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामग्री को अस्वीकार कर सकता है।

15) एन. टी. आर. पी. के चरण :-

एन. टी. आर. पी. विवरण (नॉन-टैक्स रेकीप्ट्स पोर्टल)

चरण 1 :- www.bharatkosh.gov.in पर जाएँ

चरण 2 :- नान रैजिस्टर्ड यूजर(Non Registered User) का चयन करें।

चरण 3 :- यह चरण निम्नलिखित चार प्रकार के हैं।

(i) भुगतान हेतु (ii) जमाकर्ता का विवरण (iii) सूचना की पुष्टि (iv) भुगतान

चरण 4 :- भुगतान हेतु

जमाकर्ता का श्रेणी :- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (मंत्रालय के विकल्प के अनुसार)
उद्देश्य :- पृष्ठ के अंत में पृष्ट संख्या 1,2,3,4,5 उल्लेखित होते हैं
पृष्ठ संख्या 4 का चयन करें : राजपत्र की बिक्री (पी.ए.ओ. मुद्रण,नई दिल्ली)
प्रकार्यात्मक मद :- 005800102000000. राजपत्र की बिक्री इत्यादि
भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.):- 042709- भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.टी.जी.)
आहरण और संवितरण कार्यालय (डी. डी. ओ.) :- 242722- प्रकाशन नियंत्रक (9वीं पंक्ति)
राशि :- आई एन आर –
आवृति/अवधि भुगतान :-
टिप्पणी :- राजपत्र प्रकाशन शुल्क, नाम परिवर्तन,किताब की बिक्री इत्यादि। आगे

चरण 5 :- नाम :-
पता :-
मोबाइल :-
ई-मेल :-

ऑनलाइन भुगतान	एन. टी. आर. पी./आर.टी.जी. एस.

पुष्टि

चरण :- 6
भुगतान :-
भुगतान प्रणाली/साधन :-
नेटबैंकिंग/डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान

रसीद प्राप्त/उत्पन्न करना
(प्रकाशन से संबन्धित मामले के साथ रसीद संलग्न करें)

(16) एन. ई. एफ. टी. विवरण :-

भुगतान केवल नान टैक्स रिसीप्ट्स पोर्टल (Non Tax Receipts Portal, NTRP) से किया जाना चाहिए। किसी अन्य मद के द्वारा भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा, यदि एन. टी. आर. पी. द्वारा भुगतान में कोई मुद्दा/बाधा उत्पन्न होती है तो इसे एन. ई. एफ. टी. (**NEFT**) के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

एन. ई. एफ. टी. विवरण निम्नलिखित है।

(1) बिक्रेता का नाम व पता :- नियंत्रक प्रकाशन,प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54.
(2) खाता धारक का नाम :- नियंत्रक प्रकाशन
(3) खाता संख्या :- 011103000005524
(4) बैंक का नाम :- आई. डी. बी. आई. बैंक, नई दिल्ली
(5) शाखा का नाम :- के. जी. मार्ग, नई दिल्ली
(6) शाखा कोड :- 000011
(7) आई. एफ.एस. सी. कोड :- आईबीकेएल 0000011
(8) एम. आई.सी.आर.कोड :- 110259001
(9) टेलीफोन :- 011-23357800
(10) टेन (TAN) :- DELC08277D

नोट:- संबन्धित पार्टी के भुगतान का पता लगाने के लिए संगठन के नाम का उल्लेख अवश्य करें।

प्रकाशन नियंत्रक